संख्या-01 / 2016 / 77 / 74-2-2016-20(एस) / 1992 टी0सी0

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 04 नवम्बर, 2016

विषय: दिनांक 08.11.2016 को डा0 राम मनोहर लोहिया, रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरण समारोह एवं दिनांक 08.11.2016 से दिनांक 12.11.2016 तक 05 दिवसीय सिल्क एक्सपो के आयोजन हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-442 / सेरी0 / लेखा / जाकरूकता / आयोजनेत्तर / 2016-17 दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 के संदर्भ में निर्गत शासनादेश संख्या-30 / 74-2-2016-20(एस) / 1992 टी0सी0 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 08.11.2016 को डा0 राम मनोहर लोहिया, रेशम उत्पादकता पुरस्कार वितरण समारोह एवं दिनांक 08.11.2016 से दिनांक 12.11.2016 तक 05 दिवसीय सिल्क एक्सपो के आयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि रूपया 16.52 लाख में से रूपया 10.00 लाख (रूपए दस लाख मात्र) के अग्रिम आहरण की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त अग्रिम धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774 / दस-15-1(1) / 69 दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 एवं संख्या-ए-1-235 / दस-2011-15-1(1) / 69 दिनांक 10 जून, 2011 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जायेगा। उपरोक्त आहरित किए जा रहे अग्रिम के विरूद्ध नियमानुसार चयनित लाभार्थियों को पुरस्कार वितरण आदि पर होने वाले व्यय पर अग्रिम धनराशि का समायोजन करते हुए सुनिश्चित की जायेगी।

(2) मुख्य लेखाधिकारी द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षा रिपोर्ट वित्त विभाग के अवलोकनार्थ तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनेत्तर-06 जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना-18-प्रकाशन एवं-42 अन्य व्यय मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-429 / दस-2016 दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01 / 2016 / 77(1) / 74-2-2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / 2,
(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-1
(8) समन्वय अनुभाग / उद्यान अनुभाग।
(9) नियोजन अनुभाग-4
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।